


11/3/20

अभ्यपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय पर कइ पर  
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं  
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हउके पत्र  
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर  
दाखिल दफ्तर हो।



किसी को भी न्यायालय में दाखिल करने के लिए  
न्यायालय में दाखिल करने के लिए न्यायालय में  
न्यायालय में दाखिल करने के लिए न्यायालय में

किसी को भी न्यायालय में दाखिल करने के लिए  
न्यायालय में दाखिल करने के लिए न्यायालय में